



प्रेस नोट

थाना औंग पुलिस द्वारा बलात्कार के मुकदमे से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के निर्देशन में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय बिन्दकी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार, व0उ0नि0 ईश्वर चन्द्र, उ0नि0 विकास वर्मा व का0 संदीप कुमार के द्वारा रानीपुर पुल के नीचे बहदग्राम रानीपुर बफासला 03 किमी उत्तर थाना औंग जनपद फतेहपुर से मु0अ0सं0 105/2024 धारा 363/366/328/342/354/323/504/506/313/376(3) भादवि व 4(2) पोक्सो एक्ट अभियुक्त हिमांशू उर्फ लकी उम्र 19 वर्ष पुत्र कृष्ण दत्त निवासी ग्राम बडाहार थाना औंग जनपद फतेहपुर को दिनांक 11.09.2024 को समय 21.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सक्षम भेजा गया। ज्ञातव्य है कि अभियुक्त उपरोक्त के ऊपर वादिनी श्रीमती माधुरी पत्नी मुन्नू निवासिनी बडाहार थाना औंग जनपद फतेहपुर की नाबालिक पुत्री आकांक्षा उम्र 15 वर्ष को दिनांक 03.09.2023 को भगा ले गया था, सरसौल में मंदिर में शादी करके पीडिता को बंगलौर लिवा कर चला गया जहां पर पीडिता के गर्भवती हो जाने पर उसका गर्भपात करा दिया था। फिर पीडिता को वहां से लिवा कर कानपुर आया जहां से पीडिता मौंका पाकर नौबस्ता थाने चली गयी जहां से नौबस्ता पुलिस के द्वारा पीडिता के भाई को बुला कर सुपुर्द कर दिया गया था।

गिरफ्तारी स्थल व समय – रानीपुर पुल के नीचे बहदग्राम रानीपुर बफासला 03 किमी उत्तर थाना औंग जनपद फतेहपुर ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम –

हिमांशू उर्फ लकी उम्र 19 वर्ष पुत्र कृष्ण दत्त निवासी ग्राम बडाहार थाना औंग जनपद फतेहपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 105/2024 धारा 363/366/328/ 342/354/323/ 504/506/ 313/376(3) भादवि व 4(2) पोक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. SHO श्री सुरेश कुमार थाना औंग जनपद फतेहपुर
02. व0उ0नि0 ईश्वर चन्द्र थाना औंग जनपद फतेहपुर
03. उ0नि0 विकास वर्मा थाना औंग जनपद फतेहपुर
04. का0 संदीप यादव थाना औंग जनपद फतेहपुर